न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—60 / 20 (2020 / 00091) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मियाचन्द पिता जैराम जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—सुरेश गोद पुत्र चम्पालाल जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सोहनी पत्नि चम्पा जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—हीरा पिता नारू जांट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—माना पिता नारू जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बक्षु पिता हजारी जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—आसु पिता हजारी जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—धन्ना पिता उ़दा जाट निवासी (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मांगीदेवी पत्नि रामा जाट निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—श्रीमान् तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में खाता संख्या 315 में अकिंत आराजी संख्या 2090 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 2093 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2094 रकबा 0.20 है0 भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी, नक्शाट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता गांव हेमाखेड़ा से पीथाकाखेड़ा जाने वाली सरकारी बिलानाम सड़क से होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी संख्या 2119 व विपक्षी संख्या 5 व 6 की आराजी संख्या 2117, 2116, 2115, 2114 की पश्चिमी पाली पर शामलाती कुए के पास होते हुए विपक्षी संख्या 7 व 8 की आराजी संख्या 2091 में 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी में जाता है जिसमें प्रार्थी अपने खेतो में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा है। इसी रास्ते से संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि ले जाता है। प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है। उक्त रास्त अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर खुला हुआ है परन्तु विपक्षीगण आये दिन उक्त रास्ते को बन्द कर देते है। तथा ... आवागमन करने में बाधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested

पंहुचाते है। प्रार्थी को आये दिन गाली गलोच करते व मारपीट करने की धमकी देते है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवगमन के उक्त रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान् सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आरायिजात में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 2114, 2115, 2116, 2117, 2119 की पश्चिमी पाली से होकर आराजी संख्या 2091 में 12 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप मे काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 9 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये खसरा नंम्बर पर वर्तमान में कोई रास्ता नही बना हुआ है। वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नही है। चाहे गये रास्ते के अलावा ओर कोई रास्ता मौके पर नही है। तथा मौके पर उपस्थित मौतबिरान एवं पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के द्वारा बताया कि पूर्व में इसी जगह से आते जाते है। जिसको वर्तमान में बन्द कर दिया है। विपक्षीगण कहते है कि जुलाई अगस्त के महिने में खाद डाले इसके कोई मनाही नही है परन्तु बाद में फसल काश्त कर लेने से आवागमन नही कर सकते है। वर्तमान में प्रार्थी उसके आराजी पर आवागमन पैदल खसरा नम्बर 2107, 2108, 2109 की पूर्वी मेड़ के सहारे–सहारे करते है इसी जगह से आस पास के सीाी खेतो के काश्तकार भी आवगमन पैदल करते है। चाहे गये रास्ते के खसरा नम्बरान में मौका पर फसल काश्त कर रखी है जिससे बन्द है। प्रार्थी के खसरा नम्बर पर प्रवेश हेतु और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है विपक्षीगणों को भी मौके पर पुछा गया तो उनके द्वारा भी बताया कि और कोई रास्ता नही है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डीएलसी दर 94626 रूपये प्रति बीघा होने से आराजी संख्या 2119 रकबा 0.07 है0 मे से 152 वर्गमीटर, आराजी संख्या 2117 रकबा 0.05 है0 मे से 100 वर्गमीटर, आराजी संख्या 2116 रकबा 0.15 है0 मे से 50 वर्गमीटर, आराजी संख्या 2115 रकबा 0.04 है0 मे से 50 वर्गमीटर, आराजी संख्या 2114 रकबा 0.09 है0 मे से 80 वर्गमीटर, आराजी संख्या 2113 रकबा 0.10 है0 मे से 100 वर्गमीटर, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.36 है मे से 218 वर्गमीटर कुल रकबा 750 वर्गमीटर भूमि की 27708 रूपये भूमि किमत से दुगुनी 55416 रूपये मुआवजा राशि बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनीं गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में आवागमन करने का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से आवेदन में प्रस्तावित आराजियात से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2119 रकबा 0.07 है0 मे से 152 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 13376, आराजी संख्या 2117 रकबा 0.05 है0 मे से 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 8800, आराजी संख्या 2116 रकबा 0.15 है0 मे से 50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 4400, आराजी संख्या 2115 रकबा 0.04 है0 मे से 50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 4400, आराजी संख्या 2114 रकबा 0.09 है0 मे से 80 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 7040, आराजी संख्या 2113 रकबा 0.10 है0 मे से 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 8800, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.36 है मे से 218 वर्गमीटर की 42588 प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि 8600 कुल रकबा 750 वर्गमीटर भूमि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:14:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—60 / 20 (2020 / 00091) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मियाचन्द पिता जैराम जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—सुरेश गोद पुत्र चम्पालाल जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सोहनी पत्नि चम्पा जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—हीरा पिता नारू जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—माना पिता नारू जंाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बक्षु पिता हजारी जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—आसु पिता हजारी जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—धन्ना पिता उदा जाट निवासी (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मांगीदेवी पत्नि रामा जाट निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—श्रीमान् तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2119 रकबा 0.07 है0 मे से 152 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 13376, आराजी संख्या 2117 रकबा 0.05 है0 मे से 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 8800, आराजी संख्या 2116 रकबा 0.15 है0 मे से 50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 4400, आराजी संख्या 2115 रकबा 0.04 है0 मे से 50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 4400, आराजी संख्या 2114 रकबा 0.09 है0 मे से 80 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 7040, आराजी संख्या 2113 रकबा 0.10 है0 मे से 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 8800, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.36 है मे से 218 वर्गमीटर की 42588 प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि 8600 कुल रकबा 750 वर्गमीटर भूमि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

22.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी).
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—60 / 20 (2020 / 00091) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मियाचन्द पिता जैराम जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—सुरेश गोद पुत्र चम्पालाल जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सोहनी पत्नि चम्पा जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—हीरा पिता नारू जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—माना पिता नारू जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बक्षु पिता हजारी जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—आसु पिता हजारी जाट निवासी हेमाकाखेड़ा (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—धन्ना पिता उदा जाट निवासी (कोट) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मांगीदेवी पत्नि रामा जाट निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—श्रीमान् तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2119 रकबा 0.07 है0 मे से 152 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 13376, आराजी संख्या 2117 रकबा 0.05 है0 मे से 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 8800, आराजी संख्या 2116 रकबा 0.15 है0 मे से 50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 4400, आराजी संख्या 2115 रकबा 0.04 है0 मे से 50 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 4400, आराजी संख्या 2114 रकबा 0.09 है0 मे से 80 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 7040, आराजी संख्या 2113 रकबा 0.10 है0 मे से 100 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 8800, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.36 है मे से 218 वर्गमीटर की 42588 प्रति बीघा की दर से मुआवजा राशि 8600 कुल रकबा 750 वर्गमीटर भूमि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

22.10.2020
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:14:08 IST
Reason: SelfAttested